फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम —जहाजपुर (भीलवाड़ा)

कालू देवी पत्नि रामकुमार कुंजर नि. मुंई

बनाम

पोकू पिता हीरा बैगा नि. मोहनपुरा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 67/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जबकि ये तारीख अदालत की हुक्म की तारीख से अलग हो
22.06.22	प्रार्थना पत्र लिखे के बाद डीथ रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम अखेराम जी का खेड़ा प. ह. अमरगढ़ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 6/53 कुल किता 1 रकबा 1.0800 हैक्टेयर** स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम अखेराम जी का खेड़ा प. ह. अमरगढ़ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 6/53 कुल किता 1 रकबा 1.0800 हैक्टेयर** की पड़ोसियान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू. अभिलेख निरीक्षक अमरगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाड़ा)	

Scanned with CamScanner